नगर निगम रोहतक की दिनांक 24.05.2017 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिर्पोट।

दिनांक 24.05.2017 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक मे निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमति मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक भाटी, वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर सिंह, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमति ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-5, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमति सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमति उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
10. श्रीमति अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अजय कुमार जैन, वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री जय किशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमति लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया व स्वः श्री जितेन्द्र श्रीवातस्व, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रख उनको श्रृद्धांजली अर्पित की गई। तत्पश्चात दिनांक 28.02.2017 की सदन की बैठक हुई बैठक में लिये गये निर्णयो पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2173-97 दिनांक 11.05.2017 द्वारा सभी सदस्यगण को भिजवा दी गई थी। सदन में इस कार्यवाही रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गई। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस पश्चात बैठक व दिनांक 28.02.2017 की बैठक के कुछ बिन्दुओ पर निर्णय लिया जाना था, वे सदन में रखे गये जो कि निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	बिंदू	निर्णय
1.	**नगर निगम, रोहतक की नई लाईब्रेरी व उसके उपर प्रैस मिडिया क्लब बनाने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे आमजन की सुविधा को देखते हुए नगर निगम की एक नई लाईब्रेरी व उसके उपर प्रैस मिडिया क्लब बनाया जाना अनिवार्य है ताकि आमजन इस सुविधा का लाभ उठा सके। **अतः नगर निगम की एक नई लाईब्रेरी व उसके उपर प्रैस मिडिया क्लब बनाए जाने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
2.	**नगर निगम के अंर्तगत आने वाले सिनेमाघरों का शो टैक्स बढाने बारे।** नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले सिनेमाघरों से निगम प्रत्येक शो के मात्र 8 रूपये शो टैक्स लेता है जो कि काफी कम है। अतः शो टैक्स में कुछ बढोतरी करके निगम की आय बढाई जा सकती है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी सिनेमा घरो से शो टैक्स 100 रूपये प्रति शो लिया जाये। इसके साथ-साथ R.N. Cinema से बकाया शो टैक्स की रिकवरी भी की जाये। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3.	नगर निगम कार्यालय में चल रही सी.एस.सी. को बंद करने बारे।	Sh. Y.S. Malik, IAS, Additional Chief Scretary to Govt. of Haryna, Electronics & Information Technology Department के पत्र के अनुसार स्थल किराया 500 रूपये निर्धारित किया गया है। DIO, NIC द्वारा जो सी एस सी अलॉट की हुई है। सी.एस.सी.संचालक द्वारा द्वारा नगर निगम की इंटरनेट व बिजली का प्रयोग किया जा रहा है जिस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि फाईनैंस एवं कान्ट्रेक्ट कमेटी व वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा एक दिन की औसत इंटरनेट व बिजली के खर्च अनुसार उनका रेट निर्धारित करने बारे निर्णय लिया गया। (जब से यह सी.एस.सी चल रही है तब से अब तक किराया व इंटरनेट व बिजली की रिकवरी की जाये।) **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

4.	भगत सिंह पार्किंग को लीज पर देने बारे।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला नगर योजनाकार इस संदर्भ में दो दिन के बाद फाईनैंस एवं कान्ट्रेक्ट कमेटी तथा संबंधित पार्षद के साथ बैठक का आयोजन करेंगे तथा बैठक में लिये गये निर्णय को अंतिम निर्णय मानकर आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक को भेज दी जायेगी।
5.	**संपत्तिकर तथा लाईसैंस फीस वसूली के लिए टीम का गठन करने बारे।** क्षेत्रीय कराधान अधिकारी द्वारा सामान्य बैठक में बनाई गई कमेटी के सदस्यों को दिनांक 23.03.2017 को व 04.05.2017 को सम्पत्तिकर तथा लाईसेंस फीस की वसूली के लिए नगर निगम कार्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 09.06.2014 (बिन्दु नं 5) को सदन की बैठक में लिये गये निर्णय को ही पुनः आगामी कार्यवाही हेतु निर्धारित किया जाये। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 09.06.2014 (बिन्दु नं 5) को सदन की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन द्वारा लाईसैंस लिये हुई उनके नवीनीकरण तथा क्षेत्रीय कराधान अधिकारी द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में दिये गये प्रावधानो को सुनिश्चत करते हुए लाईसैंस देना सुनिश्चित किया जाये। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
6.	सैक्टर 1 में खेल का मैंदान का निर्माण बारे।	इस बारे सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि आवश्यक अनुमति हेतु सरकार को पत्र लिखा जा चुका है तथा खेल के निर्माण की जल्द ही कार्यवाही कर दी जायेगी। **(सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

इसके उपरांत बैठक में रखे गये एजेन्डो पर चर्चा की गईः-

क्रमांक	बिंदू	निर्णय
1.	**मकान/दुकान आदि का मलबे को गली/सड़क पर डालने व घर से निकले हुए कबाड़ को घर से निकालकर घर से बाहर डालना।** विषयोक्त मामले में सदन के विचारार्थ रखा जाता है कि कुछ लोग अपना मकान/दुकान बनाते है या अपने मकान की मुरम्मत आदि करके अपने मलबे को गली/सड़क पर ही छोड़ देते है, जिससे गंदगी फैलती है व बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। अतः इस प्रकार जो भी व्यक्ति पाया जाता है उनको प्रथम बार उनको नोटिस देकर 5000 रूपये के जुर्माने प्रवाधान व यदि वह नोटिस की अवहेलना करता है या दूसरी बार मलबा पाये जाने पर	इस बारे सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि मकानो तथा दुकानो के सामने गली में पड़े कूड़े, मलबे तथा गंदगी के ढेर पाये जाने पर पहले सात दिन का नोटिस दिया जायेगा यदि सात दिन बाद भी कूड़े, मलबे तथा गंदगी के ढेर नही उठाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 2000 रूपये जुर्माना किया जायगा, जुर्माना न भरने व मलबा न उठाने पर उसके विरूध FIR तथा माननीय न्यायालय में कोर्ट केस दायर किया जाये। जिसके समक्ष हर्जा-खर्चा की वसूली कोर्ट व गंदगी/मलबे के उठाने में आये गये खर्च को भी उसी व्यक्ति से लिया जायेगा। जिन्हे नोटिस दिया जाये उसकी प्रति संबंधित वार्ड पार्षद को भी

	उनके विरूध FIR तथा IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की कार्यवाही अम्ल में लाई जाये। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	दी जाये। **(कार्यवाही मलबे व भवन निर्माण सामग्री पर कार्रवाई-सहायक नगर योजनकार की अध्यक्षता में संबंधित भवन निरीक्षक व कूड़ा-कचरे पर कार्यवाई सफाई निरीक्षक द्वारा की जायेगी)**
2.	**खाली पड़े प्लाट की चार दीवारी करवाने व गेट आदि लगाने बारें।** विषयोक्त मामले में सूदन के विचारार्थ रखा जाता है कि लोग अपने प्लाटो की चारदीवारी नहीं करवाते है जिससे आस-पास के लोग वहां पर कूड़ा डालते है व वहां पर झाड़ियां आदि उग जाती है। जिससे वहां पर गंदगी फैलती है व बरसात के दिनो में पानी इक्कट्ठा हो जाता है जिसके कारण महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। अतः इस प्रकार का जो भी प्लाटधारक पाया जाता है उन सभी को प्रथम बार उनको 5000 रूपये के जुर्माने प्रवाधान व यदि वह नोटिस की अवहेलना करता है या दूसरी बार प्लाट में गंदगी पाये जाने पर, प्लाट में पानी खड़ा पाये जाने पर व झाड़ियो के उगे पाने पर प्लाट धारक के विरूध FIR की कार्यवाही अम्ल में लाई जाये। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	इस बारे सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि खाली प्लाटधारको को चार दीवारी करने हेतु क्षेत्रीय कराधान द्वारा 15 दिन का नोटिस नोटिस दिया जायेगा, यदि 15 दिन बाद भी प्लाटधारक चारदीवारी नहीं करता है तो प्रथम बार उनको 5000 रूपये के जुर्माना किया जायेगा व जुर्माना न भरने पर व चारदीवारी/नीवं न भरने पर दूसरी बार उस पर 10000 रूप्ये का जुर्माना किया जायेग। यदि इसके पश्चात भी संबंधित द्वारा जुर्माना नहीं भरा जाता व नीवं/चारदीवारी नहीं बनाई जाती तो उसके विरूध FIR तथा माननीय न्यायालय में कोर्ट केस दायर किया जाये। जिसके समस्त हर्जा-खर्चा की वसूली कोर्ट व अन्य खर्च को भी उसी व्यक्ति से लिया जायेगा। जिन्हे नोटिस दिया जाये उसकी प्रति संबधित वार्ड पार्षद को भी दी जाये। **(कार्यवाई क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
3.	**वार्ड न0 18 व 19 में बने सामुदायिक केन्द्र की देख रेख के लिए बी0आर0 अम्बेडकर चैरीटेबल ट्रस्ट रजि0 रोहतक को देने बारे।** श्री अनिल कुमार, निगम पार्षद, वार्ड न0 19 व श्रीमती पूनम किलोई, निगम पार्षद, वार्ड न0 18 ने प्रार्थना पत्र दिया है कि वार्ड न0 18 व 19 में कन्हैली रोड पर बने सामुदायिक केन्द्र का दिनांक 14-04-2017 को सामुदायिक केन्द्र का उदघाटन हुआ है, जिसकी देख रेख के लिए बी0आर0 अम्बेडकर चैरीटेबल ट्रस्ट रजि0, रोहतक को देने की प्रार्थना करते हुए अनुरोध है कि इस ट्रस्ट के वार्ड न0 18 व 19 के दोनो वार्ड पार्षद सदस्य है। सामुदायिक केन्द्र से जो भी आय होगी उसमें रखे हुए कर्मचारी का वेतन, बिजली बिल, पानी बिल और टूट फूट का कार्य ट्रस्ट अपने स्तर पर करवाएगा। इसके इलावा जो भी पैसा बचेगा वह पैसा नगर निगम रोहतक में जमा करवा देगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इसी प्रकार गउकरण तालाब के	इस बारे सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि सामुदायिक केन्द्रको अम्बेडकर चैरीटेबल ट्रस्ट रजि0 को देते समय उस पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के सभी प्रावधानो को सुनिश्चित किया जायेगा और जनहित में उस सोसायटी में पार्षद या पार्षद का रिश्तेदार (Blood Relation) का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए तथा यह ट्रस्ट कम से कम पांच वर्ष पुरानी होनी चाहिए। **(कार्यवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

	पास नवनिर्मित अम्बेडकर भवन के रख रखाव के लिए हरियाणा दलित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, एसोसियशन रजि0, रोहतक को को यह भवन सशर्त दिया जा चुका है। उसी तर्ज पर यह सामुदायिक केन्द्र भी सशर्त बी0आर0 अम्बेडकर चैरीटेबल ट्रस्ट रजि0, रोहतक को देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।	
4.	***Consent for handing over Municipal Land free of cost for construction of MPS and STP in the 8 No. villages included in the limit of M.C.Rtk*** कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियन्ता डिविज़न न0 3, रोहतक ने सन्दर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि नगर निगम की भूमि में MPS व STP का निर्माण करने के लिए गांव बोहर मेलवान व भोपान पाना, फ्राईण्डज़ कालोनी, बोहर माजरा व पहरावर में 200'x 200' भूमि विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जन स्वास्थ्य विभाग को इन तीनो गांवो की भूमि का मौका निरीक्षण पहले ही करवाया जा चुका है। इन तीनो गांवो में नगर निगम की भूमि उपलब्ध है। सम्बन्धित विभाग की मांग अनुसार प्रत्येक गांव में लगभग एक एकड़ भूमि बनती है। कुल भूमि लगभग तीन एकड़ बनती है। जन स्वास्थ्य विभाग को MPS व STP का निर्माण करने के लिए नगर निगम की 3 एकड़ भूमि की मलकियत नगर निगम की रहेगी जबकि जन स्वास्थ्य विभाग MPS व STP का निर्माण कर सकते है। प्रस्ताव सदन की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त गांव बोहर मेलवान के निगम के पार्क में बूस्टिंग स्टेशन बनाने बारे निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग पार्क के अंदर बूस्टिंग स्टेशन बना सकता है परन्तु उसकी मलकियत नगर निगम, रोहतक की ही रहेगी। **(कार्यवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
5.	**पाड़ा मौहल्ला में स्थित नगर निगम की भूमि पर महर्षि बाल्मीकी मिडिल स्कूल बनाने के लिए शिक्षा विभाग को भूमि स्थानान्तरण करने बारे।** जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक ने सन्दर्भित पत्र क्रमांक ए-4-16/15 दिनांक 04-01-17 द्वारा अनुरोध किया है, कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के कलानौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के समय दिए गए मांग पत्र में वार्ड न0 4 व 5 में कार्यस्थ प्राईमरी स्कूल को पाड़ा मौहल्ला सरकारी जमीन पर महर्षि बाल्मीकी के नाम पर मिडिल स्कूल बना कर शिफ्ट किया जाए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मांग पत्र अनुसार नये मिडिल स्कूल के लिए खसरा न0 6838 में से 2 कनाल भूमि की मांग की गई है। खसरा न0	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि इस भूमि की मलकियत नगर निगम, रोहतक की रहेगी व इस पर स्कूल बनाने का खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। **(कार्यवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक व जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

	6838 रकबा 2 बीघे 10 बिस्वा की मलकीयत नगर निगम की है। शिक्षा विभाग को मिडिल स्कूल के लिए 2 कनाल भूमि सशर्त पर देने के लिए प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	
6.	**खेड़ी साध व सुनारियां कलां में आंगनवाडी केन्द्रो के लिए 200-250 वर्गगज़ जगह का प्रस्ताव करने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, रोहतक शहरी ने अपने पत्र क्रमांक एच.बी.एच./सी./2016/1021 दिनांक 07-11-2016 द्वारा अनुरोध किया है कि एस0डी0एम0 मीटिंग में दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 03-11-2016 को आपके पटवारियों द्वारा गांव खेड़ी साध व सुनारियां कलां में पशु हस्तपताल के पास निगम की भूमि आंगनवाडी के लिए दिखाई गई। कृप्या दोनो जगह का प्रस्ताव करवाने का कष्ट करे ताकि भवन निर्माण की राशि मांगी जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि गांव खेड़ी साध में किला न0 126//1/3/5/2 रकबा 32 कनाल 18 मरले गैर मुमकिन जोहड़ व सुनारियां कलां में किला न0 81//18/2, 23/2, रकबा 7 कनाल 1 मरले में से 250 वर्गगज प्रत्येक गांव में भूमि उपलब्ध है। अतः आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए गांव खेड़ी साध व सुनारी कलां में अर्थात प्रत्येक गांव के लिए 250 वर्गगज़ भूमि देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए हरियाणा नगर निगम, 1994 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये। **(कार्यवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
7.	**सड़को से अनाधिकृत कब्जे हटाने के लिए मुहिम चलाने बारे।** नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में सड़को पर अस्थाई अतिक्रमण हो रहा है, काफी बार अभियान चलाने के बाद भी कब्जे नहीं हट रहें है। अतः नगर निगम सड़को पर जो दुकानदार अस्थाई कब्जे किये पाया उस न्यूनतम 500 रूपये जुर्माना व दूसरी बार पाये जाने पर उनका सामान जब्त कर उसकी नीलाकी की जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि इन्फोर्समैंट कमेटी के साथ मिलकर भू-अधिकारी द्वारा अभियान चलायेगा। अस्थाई कब्जा पाये जाने पर 5000 रूपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर सामान को जब्त का लिया जायेगा और उसके विरूध FIR तथा आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जाये जिसके हर्जे-खर्चे वसूली भी उसी व्यक्ति से की जाये। **(कार्यवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
8.	**रोहतक को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाने बारें** प्रायः देखा गया है कि लोग अपनी दुकान व घर से कूड़ा बाहर नाले व सड़क पर डाल देते है। जिसकी वजह से नाले जाम हो जाते है, इसके	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि जो भी डेयरीधारक गोबर खाली प्लाट, सड़क के किनारे या नाले में बहाते पाये गये उनको सफाई निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह का नोटिस दिया जायेगा। यदि वह फिर भी गोबर

	अतिरिक्त डेयरी वाले भी गोबर खाली प्लाट, सड़क के किनारे या नाले में डालते है। अतः ऐसी स्थिति में घर से बाहर सड़क कूड़ा डालने या नाले में कूड़ा डालने पर न्यूनतम 1000 रूपये जुर्माना किया जाना चाहिए व जुर्माना न जमा करवाने की स्थिति में उसकी दुकान को सील कर दिया जाए।	आदि फैलाते है जिसकी वजह से नाले व सीजर जाम होते है तो सफाई निरीक्षक द्वारा उनके पानी व सीवर के कनेक्शन संबंधित जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग को देगा तथा उनके विरूध प्राथमिकी दर्ज करवाकर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में दिये गय प्रावधानो के तहत आवश्यक कार्यवाही भी करेगा। इसके अतिरिक्त जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग उनके सीवर पानी के कनेक्शन काटना भी सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त सदन में यह भी निर्णय लिया गया कि रोहतक में जिन सर्विस स्टेशन व पानी की सप्लाई करने वालो द्वारा भूमिगत जल या सप्लाई के पानी पर अवैध कनेक्शन लगाकर पानी का दुरूपयोग किया जा रहा है उन सभी के कनेक्शन काटने व उनके विरूध आवश्यक कार्यवाही करना जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग सुनिश्चित करेगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही व विलंब के लिए संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूध कार्रवाई करने के लिए मेयर द्वारा सरकार को भी लिखा जायेगा। **(कार्यवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक व सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
9.	**निगम क्षेत्र में स्थित किसी एक चौक का नाम शहीद उधम सिंह चौक रखने बारे।** सरकार के प्राप्त पत्र क्रमांक DULB/CM Announcement/2017/45160-239 दिनांक 09.05.2017 के अनुसार निगम एरिया में स्थित किसी भी एक चौक का नाम शहीद चौक उधम सिंह रखा जाना है। अतः जिस भी चौक का नाम शहीद चौक उधम सिंह रखने के लिए सदन मनोनित करेगा उसी चौक का नाम शहीद उधम सिंह रखने बारे कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी। प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि सोनीपत स्टैण्ड पर बने चौक का नाम शहीद उधम सिंह चौक किया जाये। **(कार्यवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
10.	शहर में भीड भाड वाले स्थानों पर लोगो ने चारपहिया गाडियां मोडिफाई करवाकर चायनिज खाने पीने के स्टाल खोले हुए है उन्हे हटवाकर उन पर जुर्माना लगाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि इन पर 5000 रूपये जुर्माना व गाड़ी न हटाये जाने पर गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाये। इसके साथ-साथ यह भी पताया लगाया जाये कि ये गाड़िया किसके द्वारा लगाई गई है तथा किस अधिकारी/कर्मचारी की सहमति से गाड़िया लगाई जा रही है।

		(**कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।**)
11.	वार्ड 3 में शीतला माता मन्दिर के सरोवर का गोकर्ण सरोवर की तर्ज पर सौन्दर्यकरण किया जाये।	इस बारे निगम अधिकारियो द्वारा बताया गया कि वर्तमान में शीतला माता मन्दिर के सरोवर के सौन्दर्यकरण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथ्ररर कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी कोई आवश्यक कार्य शेष रहेगा तो उसे भी नगर निगम द्वारा करवाया जायेगा। (**कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।**)
12.	स्लाटर हाउस की बिल्डिंग जल्द से जल्द बनवाई जाये तथा उसमें सीवर, पानी, बिजली का प्रबंध करवाकर दो सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाये।	स्र्वसम्मति से स्वीकार करते हुए श्री मंजित दहिया, नगर अभियंता को निर्देश दिये की एक सप्ताह में इसका प्रांकलन बनाकर उसकी निविदा आमंत्रित करके आगामी एक माह में इसका कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। (**कार्रवाई कार्यकारी अभियंता व सफ़ाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।**)
13.	पहरावर गउशाला का कार्य काफी समय से रूका हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा करवाकर वहां पशुओ को छोडने की व्यवस्था की जाये ।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहरावर गउशाला में मिट्टी भरत मामले की जांच हेतू वार्ड नं0 7,8 तथा 20 के पार्षद की मेयर की अध्यक्षत में टीम गठित की गई जो आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के साथ मौका देखकर आगामी जांच व मिट्टी भरत के कार्य, निर्माण के कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। (**कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।**)
14.	वार्ड 3 मे बूढी माता चौक पर बूढी माता की जगह पर एक सामूदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाये तथा उस चौक का नाम संत कबीर चौक रखा जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (**कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।**)
15.	नगर निगम क्षेत्र में वाटर वर्कस की संख्या काफी कम है तथा जींद बाईपास व हिसार बाईपास के आस पास के एरिया में पानी की काफी किल्लत रहती है। इसके अतिरिक्त जींद बाईपास व हिसार बाईपास तक कोई वाटर वकर्स नही है अतः जनहित मे वहां जगह चिन्हित करके वाटर वर्कस बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग जींद बाईपास व हिसार बाईपास के बीच वाटर वकर्स बनाने हेतू सरकार को केस भेजेंगे। (**कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।**)
16.	शहीद भगत सिंह चौक के सोन्दर्यकरण व रख-रखाव के लिए उसे ओमेक्स सिटी को दे दिया जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि शहीद भगत सिंह चौक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है अतः निर्णय लिया गया

		कि इस बारे संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को लिखा जायेगा। इसके साथ-साथ मैडिकल चौक पर बने चौराहे का LPS द्वारा सही ढंग से नही किया जा रहा इसलिए इस चौक की देख-रेख व रखरखाव के लिए LPS Bossard प्रबंधक को पत्र लिखा जाये। **(कार्रवाई सम्पदा अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक व कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
17.	वार्ड नं0 19 में मेन चौराहो पर 10-12 हाईमास्ट पोल लगवाये जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि सरकार के पत्र क्रमांक TA/DULB/2017/3042 दिनांक 11.05.2017 अनुसार हरियाणा के सभी जिलो में पुरानी लाईटे बदल कर नई एल0ई0डी0 लाईटें लाईटे लगवाई जायेंगी। अतः हाई मास्क लाईट नहीं लगाई जा सकती।
18.	वार्ड नं0 19 बाहरी वार्ड होने के कारण क्षेत्रफल ज्यादा है जिसके कारण वर्तमान में कार्य कर रहे सफाईकर्मचारियो से पूरे वार्ड की सफाई नही हो पा रही है व वार्ड में काफी गंदगी भी रहती है। अतः वार्ड 19 की सफाई व्यस्था में सुधार लाने के लिए सफाई कर्मचारीयों की संख्या बढाई जाये।	आयुक्त महोदय वार्ड नं0 19 की सफाई व्यवस्था ठीक करने बारे सम्बन्धित सफाई निरीक्षक को तुरन्त आदेश दिये गये। **(कार्रवाई सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
19.	वार्ड नं0 19 में कोई सरकारी स्कूल नही है वार्ड के एकता कालोनी, ग्रीन पार्क व अम्बेडकर कालोनी के सभी बच्चो को मेडिकल कैम्पस स्थित 14 जे वाले सरकारी स्कूल में लाईन पार करके जाना पडता है जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इस सरकारी स्कूल के पास बनाई गई सरकारी कालोनी 14 जे को वहां से खत्म कर दिया गया है जिसके कारण वहां सुनसान व खाली जगह पर केवल सरकारी स्कूल ही रह गया है। अतः 14 जे स्थित लाईन पार वाले सरकारी स्कूल को वहां से शिफ्ट करके वार्ड नं0 19 में कर दिया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि लाईन पार मेडिकल कैम्पस स्थित 14-जे के सरकारी स्कूल को स्थानान्तरण करने हेतू जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित पार्षद के साथ मौका देखकर सरकार को केस भेजेंगे। **(कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
20.	फ्रेन्डस कालोनी रोहतक के बीचों बीच से काफी पहले नाला बनाया गया था जिसके माध्यम से बरसात का पानी भालोठ नहर ब्रांच में डाला जाता था। इसके बाद पहरावर रोड के साथ नाला बना दिया गया जिसके द्वारा यहां का बरसात का पानी इस नाले के द्वारा गान्धरा नाले में डाला जाता है और गन्दा पानी भी इसी से निकाला जा रहा है। अब फ्रेन्डस कालोनी रोहतक के बीचों बीच बनाये गये नाले के आस पास घनी आबादी हो चुकी है तथा	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फ्रेन्डस कालोनी रोहतक के बीचों बीच बन्द तथा सूखे नाले को बन्द करवाने बारे सिचाई विभाग को पत्र लिखा जायेगा। इसके अतिरिक्त उपमेयर, नगर निगम, रोहतक द्वारा बताया गया कि भिवानी रोड़ स्थित नाले की सफाई नहीं हुई है, अतः इस नाले की सफाई करवाई जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता व सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

	फ्रेन्डस कालोनी में सीवर बनाये जाने पश्चात् बरसाती पानी सीवरो में चला जाता है। अब इस नाले की कोई आवश्यकता नही है अपितु इस नाले के कारण बरसाती पानी तथा गन्दा पानी इकट्ठा हो जाने से मक्खी मच्छर हो जाते है तथा यहां के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अतः फ्रेन्डस कालोनी के बीचो बीच से गुजरने वाले नाले की भूमि को नहर विभाग से नगर निगम रोहतक मे स्थानान्तरण करवाने हेतू सदन में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	
21.	गांव बोहर में नान्दल भवन के सामने नगर निगम की खाली पडी जमीन पर एक सुन्दर पार्क विकसित किया जाये ।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
22.	गांव बोहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गए सब सैन्टर की बिल्डिंग काफी जर्जर अवस्था में है जिसका पुनः निर्माण करवाने बारे सदन में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि इस बारे सिविल सर्जन मौका देखकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाये। **(कार्रवाई सिविल सर्जन, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
23.	गढी माजरा हरिजन चौपाल में गांव का सारा गंदा पानी एकत्रित होता है जिसके कारण वहां काफी दुर्गन्ध व मक्खी मच्छर हो गए है तथा चौपाल की हालत भी काफी जर्जर हो गई है। अतः गढी माजरा हरिजन चौपाल मे से सारा गंदा पानी निकलवाकर चौपाल का पुनःनिर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका देखकर अनुमान तैयार करने के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
24.	गांव बोहर माजरा तथा अस्थल बोहर की काफी गलियां कच्ची पडी है उन्हे पक्का करवाया जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि अनाधिकृत क्षेत्र मे नगर निगम द्वारा विकास कार्य करवाया जाना संभव नही है। अधिकृत क्षेत्रों में पार्षद की अनुशंसा अनुसार कार्य करवा जा रहे है। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
25.	बोहर माजरा में बन रहे शमशानघाट का काफी समय से कार्य रूका हुआ है उसे पुनः चालू करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका देखकर एक सप्ताह के अन्दर कार्य को चालू करने के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
26.	वार्ड नं 11 श्रीनगर कालोनी में रणसिंह डबास, स्वतंत्रता सेनानी का बोर्ड लगा है उसकी हालत काफी खराब तथा जर्जर हो गई है। अतः रणसिंह डबास, स्वतंत्रता सेनानी के नाम का बोर्ड ठीक करवाया जाये अथवा नया लगवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को रणसिंह डबास, स्वतंत्रता सेनानी के नाम का बोर्ड ठीक करवाने के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

27.	वार्ड नं0 11 मे शिव शक्ति बारातघर की मुरम्मत करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को शिव शक्ति बारातघर की मुरम्मत का अनुमान तैयार कर मुरम्मर कराने के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
28.	वार्ड नं0 11 में बने अमित मिगलानी पार्क में नए झूले लगवाये जाये तथा पुराने पडे खराब झूलो को भी ठीक करवाया जाये तथा 2 गजीबो बनवाये जाये। इसके अतिरिक्त पटेल नगर के गुरूनानक पार्क में बैंच रखवाये जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका देखकर रिपोर्ट देने के आदेश दिये गये है। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
29.	वार्ड 11 श्रीनगर कालोनी में बने रामाआश्रम के रास्तें में रामा आश्रम मार्ग का बोर्ड लगवाया जाये।	सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।
30.	वार्ड नं0 11 पटेल नगर में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट लगवााई जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि सरकार के पत्र क्रमांक TA/DULB/2017/3042 दिनांक 11.05.2017 अनुसार हरियाणा के सभी जिलो में पुरानी लाईटे बदल कर नई एल0ई0डी0 लाईटें लाईटे लगवाई जायेंगी। अतः वर्तमान में इस पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है।
31.	वार्ड नं0 11 की गई गलियों की सडको पर जगह-2 गड्ढे है उनकी मुरम्मत करवाई जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वार्ड नं0 11 की विभिन्न गलियों की सडको को रिपेयर करने हेतू निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जल्द ही कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
32.	श्री शांतिप्रकाश जैन के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होने पुराने बस स्टैड पर बने सामूदायिक केन्द्र का नाम उनके स्व. पिता श्री लक्ष्मण दास जोकि स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पर रखने हेतू अनुरोध किया है। सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	भू अधिकारी, नगर निगम द्वारा इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि पुराने बस स्टैड पर बने सामूदायिक केन्द्र का मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः इस बारे न्यायालय का फैसला आने तक कार्रवाई की जानी संभव नही है।
33.	हरियाणा में मिरासी समाज (डूम समाज) की कोई धर्मशाला नही है। अतः वार्ड 16 में नगर निगम की खाली जगह पर मिरासी समाज (डूम समाज) के लिए धर्मशाला बनवाई जाये।	इस बारे सदन मे विचार विमर्श किया गया कि किसी जाति विशेष या विशेष समाज के नाम से सामुदयिक केन्द्र बनाया जाना उचित नही है। सामूदायिक केन्द्र सभी के लिए होता है जिसके किसी भी जाति अथवा सामप्रदाय का व्यकित इस्तेमाल कर सकता है। अतः सामूदायिक केन्द्र बनाने के लिए मौका देखकर रिपोर्ट की जा जायेगी। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
34.	वार्ड नं0 17 में बने अग्रसेन पार्क का सौन्दर्यकरण करवाया जाये तथा एक	इस संदर्भ में सदन को अवगत करवाया गया कि पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य

	स्थाई माली रखा जाये।	किया जा रहा है तथा इसकी देख-रेख के लिए माली लगा हुआ है। सदन द्वारा नगर अभियंता को निर्देश दिये गये कि पार्क का सौंदर्यकरण सुनिश्चित किया जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
35.	वार्ड नं0 20 पाना महतान चौपाल का निर्माण करवाया जाये इसका काफी पहले टैण्डर भी हो चुका है।	आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को एक सप्ताह के अन्दर मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये तथा यदि सामुदायकि केन्द्र की आवश्यकता है तो उसका प्रांकलन तैयार किया जाये। वार्ड नं0 20 पाना महतान चौपाल का निर्माण बारे वार्ड पार्षद द्वारा अगवत करवाया गया कि चौपाल निर्माण की फाईल पहले भी बन चुकी है जिसके टैण्डर भी हो चुका है परन्तु कार्य शुरू नही किया गया तथा चौपाल निर्माण के टैण्डर की पूरी फाईल गुम कर दी गई। आयुक्त, नगर निगम, रोहतक द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता को इस संदर्भ मे जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
36.	वार्ड 20 गांव सुनारिया में एक कम्यूनिटी सैंटर बनवाया जाये।	वार्ड नं0 20 के साथ-साथ वार्ड नं0 4 में भीम नगर में व 16 के पार्षद द्वारा भी जे.पी कालोनी में सामुदायिक केन्द्र बनाने हेतु भी अनुरोध किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को एक सप्ताह के अन्दर मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये तथा यदि सामुदायकि केन्द्र की आवश्यकता है तो उसका प्रांकलन तैयार किया जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
37.	वार्ड 20 में राजीव गांधी आवास योजना की किस्त सभी लाभार्थियों को दिलवाई जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा शहरी परियोजना अधिकारी को शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर शीघ्र कार्रवाई के आदेश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता व शहरी परियोजना अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
38.	गांव सुनारिया में पहले अखाडा बनाया गया था जिसमे गांव के तथा आस पास के युवा व्यायाम करते थे। परन्तु अब यह काफी समय से बन्द पडा है जिसके कारण युवाओ को काफी परेशानी हो रही है। अतः जिस प्रकार शहर	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता, नगर निगम, रोहतक को एक सप्ताह के अन्दर मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।

	के पार्को में आमजन के स्वाथ्य को ध्यान मे रखते हुए ओपन जिम बनाये गये है उसी प्रकार गांव सुनारिया में भी लोगो के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काफी समय से बंद पडे अखाडे की मुरम्मत करवाकर उसे चालू करवा जाये।	(कार्रवाई कार्यकारी **अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा** की जायेगी।)
जनस्वास्थ्य विभाग से संबधित समस्याएं		
1.	न्यू विजय नगर व शीतल नगर, एकता कालोनी में सीवंर लाईन व पानी की लाईन डलवाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को सम्बन्धित पार्षद के साथ मौका देखकर आगामी कार्रवाई जल्द से जल्द करने के आदेश दिये गये।
2.	शीतल नगर में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (डिस्पोजल) बनवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शीतल नगर मे डिस्पोजल बनाने हेतू नगर निगम जगह उपलब्ध करवायेगा तथा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग सम्बन्धित पार्षद के साथ मौका देखकर आगामी कार्रवाई अमल में लायेंगे।
3.	वार्ड नं0 11 की विभिन्न कालोनियों में आवश्यकतानुसार पानी तथा सीवर लाईन डलवाई जाये। इसके अतिरिक्त वार्ड की कई कालोनियों मे गंदे पानी की सप्लाई हो रही है तथा कई गलियों मे तो पानी आता ही नही है।	वार्ड 11 की कालोनियो में पानी तथा सीवर की समस्या के समाधान बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग को जनसुविधा हेतु तुरन्त प्रभाव से पानी तथा सीवर की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिये गये।
4.	वार्ड नं0 9 तिलक नगर एक्सटैंशन में सीवर के क़नैक्शन नही है अतः वहां सीवर की व्यवस्था की जाये।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग ने सदन को अवगत करवाया कि अभी विभाग के पास पाईप नही है पाईप आ जाने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
5.	वार्ड नं0 17 में पीपल वाली गली से प्राईमरी स्कूल तक तथा परमार्थ हस्पताल से वैश्य कालेज तक सीवर लाईन व्यवस्था ठीक नही है जिसके कारण सीवर रूके रहते है। अतः वहां दोबारा सीवर लाईन डाली जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता,जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
6.	वार्ड 20 गांव सुनारिया में गांव का गंदा पानी तालाब में जा रहा है जिसके आमजन को काफी परेशानी होती है अतः गांव में पानी का बूस्टर बनवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता,जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
7.	वार्ड 20 अमृत कालोनी व श्रीरामनगर में पानी की भारी किल्लत है अतः वहां बूस्टिंग स्टेशन बनवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता,जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
8.	गांव बोहर में जगह चिन्हित करके पानी बूस्टर बनवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता,जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

9.	वार्ड नं0 8 खेडी साध में बन्द पडे वाटर वर्कस को रिपेयर करवा कर चालू करवाया जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता,जनस्वास्थ्य विभाग को वार्ड नं0 8 खेडी साध में बन्द पडे वाटर वर्कस को रिपेयर करवा कर चालू करवाने बारे निर्देश दिये गये।
बिजली विभाग से संबधित समस्याएं		
1.	न्यू विजय नगर व शीतल नगर,एकता कालोनी में बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर व तारे डलवाई जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, हरियाणा विघुत प्रसारण निगम को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
2.	वार्ड नं0 16 गांव कुताना में बिजली का कनैक्शन शहर की लाईन से करवाया जाये व इसका खर्च बिजली बौर्ड या नगर निगम वहन करेगा।	आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, हरियाणा विघुत प्रसारण निगम को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

इसके उपरांत मेयर महोदया की स्वीकृति से निम्नखित एजेन्डा बिन्दूओ पर विचार विमर्श किया गयाः-

1.	वार्ड 8 में कुण्डला तालाब की गंदगी निकलवाकर उसकी सफाई करवाई जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को इस जोहड़ की दीवार बनाने के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
2.	खेडी साध में जोहड को पानी को डिग्गी के पानी के साथ मिल रहा है उस पर कार्यवाही करने बारे।	आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
3.	खेडी साध की पुलिया बनाई जानी थी जो कि अभी तक नही बनी है। अतः जल्द से जल्द पुलिया बनाई जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित नगर अभियंता को मौका देखकर जनसुविधा हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
4.	नगर निगम कार्यालय मे जरनेटर व पानी की सुविधा नही है। अतः जनरेटर व पीने के पानी का उचित प्रबन्ध किया जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वाटर कूलरो को रिपेयर करवाने हेतू भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय मे बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए जल्द ही नगर निगम द्वारा दो जनरेटर खरीदने बारे प्रस्ताव पास किया गया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
5.	नगर निगम रोहतक के अंर्तगत आने वाले स्लम एरिया में ब्लाक सीवरो की सफाई करवाई जाये तथा मानसून आने से पहले शहर के नाले साफ करवाये जाये।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग ने 15 दिन मे सफाई करवाने के निर्देश दिये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की**

		जायेगी।)
6.	मेयर नगर निगम ने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि निगम के अधिकारियों के बार-2 तबादले हो जाते है जिसके कारण विकास कार्यो में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इस समस्या के समाधान हेतू एक टान्सफर पालिसी बनाने बारे सरकार से पत्राचार किया जाये ताकि नगर निगम में अधिकारी कम से कम तीन साल रहे उनका कही अन्यत्र तबादला न हो।	सर्वसम्मति से इस बारे सरकार को मेयर द्वारा पत्र लिखने का प्रस्ताव पारित किया गया। **(कार्रवाई मेयर कार्यालय, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
7.	वार्ड 12 के पार्षद ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड शिवम एन्कलेव में पानी की लाईन डालने का कार्य किया जा रहा था परन्तु आधी से ज्यादा पाईप लाईन डालकर कार्य बीच मे ही रोक दिया गया।	वार्ड 12 में पानी की लाईन डालने बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग ने जल्द से जल्द कार्य करने का सदन को आश्वासन दिया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
8.	वार्ड नं0 19 के पार्षद ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड शीतल नगर, न्यूविजय नगर तथा साथ लगती कालोनियो में पानी के मीटर लगवाने के नाम पर उनके वार्ड वासियों से 2270/- रूपये प्रति कनेक्शन के वसूल कर लिये परन्तु गलियों में पाईप लाईन तक नही डाली गई।	कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग ने इस बारे जांच करवाकर समस्या का समाधान करने का सदन को आश्वासन दिया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
9.	वार्ड नं0 9 के पार्षद ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड में सैक्टर 14 के मोड पर बने सी0एन0जी0 पैट्रोल पंप के सामने सडक पर वाहनो की काफी लम्बी कतार लग जाती है कई बार तो आपस में झगडा भी हो जाता है। अतः इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाये।	इस संदर्भ मे आयुक्त महोदय द्वारा क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को सम्बन्धित पार्षद से लिखित शिकायत लेने उपरान्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
10.	**रोहतक शहर स्थित कैटल फीट प्लांट को शहर से बाहर स्थानांतरण करने हेतू।** वार्ड नं0 5 के पार्षद से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने शहर में स्थित हैफड कैटल प्लांट तथा वीटा मिल्क प्लांट को शहर से बाहर स्थानांतरण करवाने बारे लिखा है। हैफड कैटल प्लांट से निकलने वाली सुरसी तथा धूएं से तथा वीटा मिल्क प्लांट से निकलने वाली अमोनिया गैस से आमजन को काफी बिमारियां हो रही है व जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अतः हैफड स्थित कैटल फीड प्लांट तथा वीटा प्लांट को शहर से बाहर शिफ्ट करने हेतू सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सरकार व हैफेड को जनता की भलाई को ध्यान में देखते हुए शीघ्र ही अनुरोध पत्र लिखने की स्वीकृति दी गई। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
11.	वार्ड नं0 20 में तालाब की खुदाई की मिट्टी बारे।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वार्ड नं0 20 सुनारियां गांव में

		तालाब की खुदाई से निकलने वाली मिट्ऊी को गांव के लोगो द्वारा अपने इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

बैठक के अन्त मे सभी पार्षदो को निम्नलिखित आवश्यक सूचना दी गई :-

- ❖ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सभी वार्डो में याशी कन्सलटैन्सी नाम की फर्म द्वारा जल्द ही सर्वे शुरू किया जाना है। अतः सभी पार्षदगण अपने-2 वार्डो में दो स्थान उपलब्ध करवाये ताकि कम्पनी के कर्मचारी वहां बैठकर सर्वे का कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि सर्वे के लिए कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि या शुल्क नही वसूला जायेगा।
- ❖ सभी पार्षदगणों को अवगत करवाया गया कि 28/05/2017 से लेकर 03/06/2017 तक नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जायेगा जिसमें आमजन को सफाई के प्रति जागरूक किया जायेगा तथा लिफटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा किया जायेगा 28/05/2017 को प्रातः 7:00 बजे दिल्ली बाईपास के राजीव चौक पर नगर निगम की सभी ट्रैक्टर ट्रालियां, सभी कूडा उठाने वाली गडियां तथा सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम के साथ नगर निगम के सभी अधिकारी गण मौजूद रहेंगे तथा स्वच्छता शपथ लेने के बाद सफाई का कार्य शुरू करवा दिया जायेगा । दिनांक 04/06/2017 करे उपायुक्त महोदय की टीम सभी वार्डो में सफाई कार्य का निरीक्षण करेगी जिस वार्ड की सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी पाई जायेगी उस वार्ड को 2 लाख रूपये की राशि का ईनाम दिया जायेगा।
- ❖ सभी पार्षदगण अपने-अपने वार्ड में दिनांक 05.06.2017 को लोगो एकत्रित कर स्वच्छता की शपथ दिलायेंगे व उन्हे गिला व सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित कर घर-घर से कूड़ा उठाने वाले वाहन में अलग-अलग डालने के लिए प्रेरित करेंगे तथा यह भी प्रयास करेंगे कि दिनांक 06.05.2017 से सभी गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग ही डाले।
- ❖ नगर निगम, रोहतक की वार्डबन्दी हेतु मौके की आबादी के आकड़े (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े अलग-अलग दर्शाते हुए कुल आबादी के आंकड़े सहित) ब्लाक वाईज एकत्रित करने हेतु सर्वे का सर्वे का कार्य शीघ्र ही किया जाना है। जिस बारे सभी पार्षगण को सदन की बैठक व कार्यालय के पत्र क्रमांक एम.सी.आर./टी.पी./157-176 दिनांक 17.05.2017 के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है।

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की धोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 29/5/17

क्रमांक MCR/Mayor/2017/2700-2704

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।

2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री मनीष ग्रोवर, माननीय सहकारिता, लेखन एवं मुद्रण सामग्री व शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा।
4. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 29/5/17

क्रमांक MCR/Mayor/2017/2705-11

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 29/5/17

क्रमांक MCR/Mayor/2017/2712-16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सिविल सर्जन रोहतक।
3. अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग रोहतक।
4. अधीक्षक अभियंता उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।